न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 94 / 2025 **GCMS NO – 2025/189**

लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. महादेव प्रसाद, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी 134, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. प्रकाश पुत्र हरिनारायण निवासी ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, लिजा जयपुर निवासी 42, विवेक विहार, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर डेयरी के सामने दैनिक भास्कर के पास, जयपुर जिला जयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार सांगानेर के द्वारा नामान्तकरण आदेश दिनांक 04.07.2025 नामान्तकरण संख्या 401 में खाता संख्या 138 से व्यथित होकर।

———————

उपस्थितः–

1. श्री विशाल दिनकर अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निर्णय दिनांकः 19.12.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय 06.07.2025 जिससे नामान्तरकरण संख्या 401 वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 25.08.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण की ऑनलाईन छायाप्रति उपलब्ध है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट की ओर से एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद बाबत अपीलाधीन आराजीयात कुल किता 71 रकबा 12.92 हैक्टेयर वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर के संबंध में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2024 को प्राथमिक डिक्री कर कुरेजात रिपोर्ट मंगायी गयी तत्पश्चात कुरेजात रिपोर्ट पर बिना कोई समुचित सुनवाई का अवसर दिये प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट को अंतिम डिक्री दिनांक 26.06.2025 को फरमा दी गयी। उक्त अंतिम डिक्री अनुसार रेस्पा0 संख्या 1 को कृषि भूमि खसरा नंबर 1141 / 483, 1144 / 854, 805 / 1, 813, 815, 816, 853 कुल किता 7 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर भूमि जो मुख्य रिंग रोड से लगती हुई थी। उक्त भूमि रेस्पा0 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 401 अंकित कर दी गयी। उक्त अंतिम डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने एक अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जिसमें रिकॉर्ड कॉल एवं नोटिस जारी करने के आादेश दिये गये। रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपील के विचाराधीन होने के दौरान सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने की मंशा से एक उपहार पत्र दिनांक 11.08.2025 को स्वयं की पत्नी के हक में उपपंजीयक सांगानेर के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

समक्ष तहरीर व तकमील कर दिया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 26.06.2025 पारित होने के केवल मात्र 7 दिवस के भीतर ही तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि प्रकरण में अंतिम निर्णय की दिनांक से 60 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। प्रकरण में तहसीलदार को मौका रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी एवं मौका स्थिति मालूम किया जाना आवश्यक था किन्तु प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा सभी कानूनो को दरकिनार करते हुए नामान्तकरण संख्या 401 स्वीकृत कर दिया गया। रेस्पा0 संख्या 1 के हिस्से में आयी भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है जिसमें नल, बिजली कनेक्शन अपीलांट के नाम से लगे हुए है एवं अपीलांट का कुंआ बना हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 401 दिनांक 06.07.2025 वाके ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित डिक्री आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर का निर्णय दिनांक 26.06.2025 वर्तमान में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है एवं न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज किया गया। इसलिए नामान्तकरण के संबंध में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आधार पर दिनांक 04.07.2025 को दर्ज किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 06.07.2025 को नामान्तकरण संख्या 401 तस्दीक किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के तकासमा डिक्री आदेश की अपील वर्तमान में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के तकासमा डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया। यदि अपीलांट तकासमा डिक्री आदेश से असंतुष्ट है तो

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई द्वारा ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित डिक्री आदेश में अपीलांट स्वयं वादी रहे है एवं अपीलांट द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि डिक्री आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 के क्रम में अपीलांट को स्थगन अनुतोष प्रदान नहीं किया गया एवं उक्त आदेश दिनांक 14.07.2025 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गयी। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 12.08.2025 द्वारा खारिज की गयी है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर के तकासमा डिक्री आदेश दिनांक 26.06.2025 के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन न्ययोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर